JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याएं और समाधान

सुरेश कुमार
शोधार्थी
विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
दरभंगा - 846004

सार (Abstract) :

प्रस्तुत आलेख में भारत में घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं और उनके समाधान पर बल दिया गया है। यह घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का विश्लेषण करता है। साथ ही इस आलेख में वर्तमान सामाजिक सुरक्षा कानूनों की उपयोगिता एवं उपादेयता पर भी विचार किया गया है। अंत में घरेलू महिला श्रमिकों की जीवन- दशा और कार्यदशा में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

कुंजी शब्द (Key Words) :

असंगठित क्षेत्र , घरेलू श्रमिक , अकुशल श्रमिक , सामाजिक सुरक्षा , न्यूनतम वेतन कानून , घरेलू कार्य।

भूमिका (Introduction) :

देश में कार्यरत महिला श्रमबल का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है जिनमें से अधिकतर घरेलू श्रमिक के रूप में कार्यरत है। घरेलू श्रमिक असंगठित क्षेत्र के वे श्रमिक हैं जो नियोक्ता के घरों में पूर्णकालिक या अंशकालिक रूप से घरेलू सेवाएं प्रदान करते हैं। इन सेवाओं की प्रकृति स्थाई अथवा अस्थाई होती है। ये श्रमिक बदले में नियोक्ता से धन या वस्तुएं पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त करते हैं। यह पारिश्रमिक नियोक्ता से सीधे अथवा

नियोजन एजेंसी के माध्यम से प्राप्त की जाती है। घरेलू श्रमिक के अंतर्गत नियोक्ता के परिवार के सदस्य शामिल नहीं होते हैं क्योंकि इनके बीच नियोक्ता और सेवक का संबंध नहीं होता है।

घरेलू महिला श्रमिकों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है जिनमें प्रमुख आधार है - कार्यावधि। इस आधार पर घरेलू महिला श्रमिकों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है - अंशकालिक घरेलू श्रमिक और पूर्णकालिक घरेलू श्रमिक। अंशकालिक घरेलू श्रमिक एक या अधिक नियोक्ता के घर पर प्रतिदिन एक निश्चित अवधि तक ही घरेलू सेवा प्रदान करते हैं तथा काम की समाप्ति के पश्चात अपने निवास स्थान पर वापस लौट जाते हैं। पूर्णकालिक घरेलू श्रमिक नियोक्ता के परिवार के साथ अथवा नियोक्ता द्वारा प्रदत्त आवास में रहते हैं। इनके काम के घंटे लंबे और थका देने वाले होते हैं परंतु वेतन कम होता है।

घरेलू महिला श्रमिकों की संख्या :

देश में घरेलू श्रमिक के संबंध में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न स्रोतों के आधार पर इनकी संख्या अलग-अलग बताई जाती है। अंतरराष्ट्रीय पेशेवर सेवा प्रदाता संस्था के.एम.पी.जी. इंडिया ने अपनी रिपोर्ट डोमेस्टिक हेल्प सेक्टर (2013-2017) में देश में विभिन्न .एन.जी.ओ. संस्थाओं द्वारा किये गए अध्ययन के आधार पर भारत में घरेलू श्रमिकों की संख्या लगभग 6 मिलियन बताई है। देश के कुल घरेलू श्रमिकों में से लगभग 90 प्रतिशत महिला घरेलू श्रमिक हैं। ये घरेलू महिला श्रमिक मुख्य रूप से अशिक्षित या अल्पशिक्षित तथा अकुशल श्रमिक हैं।

समस्या का विवरण (Statement of the Problem) :

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बहुसंख्यक घरेलू महिला श्रमिकों की कार्यदशा और जीवन - दशा अत्यंत दयनीय है। इनके काम के घण्टे लंबे और वेतन कम होता है। प्राय: वेतन वृद्धि , भत्ते और बोनस का लाभ नहीं मिलता है। परंतु कुछ नियोक्ता घरेलू महिला श्रमिकों को साल में त्योहारों पर कुछ सामान यथा - कपड़ा आदि देती हैं। नियोक्ता इनका आर्थिक शोषण करते हैं (तिवारी, 2018)। गरीबी और अकुशलता के कारण घरेलू महिला श्रमिकों की मोलभाव की क्षमता कम होती है। फलत: वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार हो जाती हैं (मोघे,2007)।

घरेलू महिला श्रमिकों की जीवन दशा दयनीय होती है। ये नगर की गंदी बस्तियों में निवास करती हैं ,जहां मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है (भारती और मेहरोत्रा,2008)।अधिकांश घरेलू महिला श्रमिक का परिवार गरीबी

में जीवन व्यतीत करता है। घरेलू महिला श्रमिकों की सारी कमाई परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही खर्च हो जाता है। फलतः परिवार की आकस्मिक जरूरतों के लिए बचत नहीं हो पाता है (मेहता,2012)।

घरेलू महिला श्रमिकों की एक अन्य प्रमुख समस्या है - सामाजिक भेदभाव। यह भेदभाव घरेलू महिला श्रमिक की धर्म,जाति और वर्ग के आधार पर देखने को मिलता है। नियोक्ता द्वारा नौकरी पर रखे जाने से पूर्व प्रायः उनकी धर्म और जाति के बारे में पूछताछ की जाती है। हिन्दू घरों में मुस्लिम घरेलू श्रमिक घरेलू सेवा के लिए नहीं रखे जाते हैं (विगो,2021)। अधिकांश घरेलू महिला श्रमिक निम्न जातियों - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग से संबंधित होती हैं (ऑगस्टिन और सिंह,2016)।

घरेलू महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर नियोक्ता के शौचालय के इस्तेमाल की मनाही होती है। उन्हें खुले में अथवा अपार्टमेंट में पुरुष गॉर्ड के लिए बने शौचालय को इस्तेमाल करने को कहा जाता है जो गंदे और असुरक्षित होते हैं। कार्यस्थल पर इनके खान-पान के बर्तन भी अलग रखे जाते हैं (दुष्यंत,2022)। कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ जैसी मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जाती हैं (विमला,2000)।

कार्यस्थल पर घरेलू महिला श्रमिकों के साथ मौखिक दुर्व्यवहार ,शारीरिक हिंसा और यौन-उत्पीड़न की खबरें समाचार पत्रों और मीडिया में प्रकाशित होती रही है। घर की चाहरदीवारी के अंदर पूर्णकालिक घरेलू महिला श्रमिकों को कई अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसे - गाली गलौज,मारपीट और मानसिक और यौन शोषण (लाहिड़ी,2017)।

घरेलू महिला श्रमिकों की एक प्रमुख समस्या उंनका अशिक्षित या अल्पशिक्षित होना तथा अकुशल होना है। इस कारण उनकी मोलभाव की क्षमता कम होती है। अशिक्षित और अकुशल होने के कारण वे जीवन यापन के लिए किसी अन्य पेशे का चुनाव नहीं कर सकती हैं (अरुल,2017) ।अशिक्षा के कारण वे सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं के प्रति अनभिज्ञ रहती हैं तथा उनमें विद्यमान सामाजिक सुरक्षा कानूनों के प्रति जागरूकता का अभाव होता है (ऑगस्टिन और सिंह,2016)।

घरेलू महिला श्रमिकों के लिए अबतक किसी विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का अभाव रहा है। घरेलू क्षेत्र को कार्यस्थल के रूप में वैधानिक दर्जा नहीं मिलने के कारण असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बने कई श्रम अधिनियम घरेलू श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं (नीता एन. ,2019)।

परिचर्चा और विश्लेषण (Discussion and Analysis) :

घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए समय-समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रयास किये जाते रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू सेवा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए प्रथम बार घरेलू श्रमिक (नियोजन की शर्त) विधेयक, 1959 संसद में लाया गया , परंतु यह विधेयक संसद में पारित होकर कानूनी रूप नहीं ले सका। वर्ष 2009 में एक निजी विधेयक घरेलू श्रमिक (सेवा शर्त), 2009 संसद में पेश किया गया ,परंतु यह विधेयक भी संसद में पारित नहीं हो सका। वर्तमान में घरेलू महिला श्रमिकों के अधिकार की रक्षा और कल्याण के लिए कोई विशिष्ट केंद्रीय कानून नहीं है।

सरकार द्वारा देश में असंगठित क्षेत्र को विनियमित करने के लिए बनाये गए कुछ पूर्व कानूनों को संशोधित कर घरेलू महिला श्रमिकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है । ये कानून निम्नलिखित हैं :

1. न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948 : कई राज्य सरकारों ने इस कानून के अंतर्गत घरेलू श्रमिकों को भी शामिल कर लिया है। अबतक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार, ओड़िसा, राजस्थान, झारखंड सहित देश के 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ही घरेलू महिला श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी कानून की अनुसूची में शामिल किया है। इनमें से कई राज्यों द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी बाजार दर से कम है। उदाहरण के लिए बिहार राज्य में अकुशल घरेलू श्रमिक के लिए तय न्यूनतम मजदूरी 336 रु. प्रतिदिन निर्धारित है जो बाजार दर से काफी कम है (विगो,2021)। बढ़ती हुई महंगाई में घरेलू महिला श्रमिकों के लिए इतनी कम मजदूरी पर जीवन यापन करना कठिन है। दूसरे यह कानून न्यूनतम मजदूरी की बात तो करता है किंतु अधिकतम काम के घंटे के निर्धारण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
2. बाल श्रम (प्रतिषेध और नियंत्रण) अधिनियम ,1986 (यथा संशोधित 2006) : इसके अंतर्गत घरेलू श्रमिक के रूप में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
3. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 : इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू महिला श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। इसके द्वारा घरेलू श्रमिकों के कल्याण तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक प्रावधान किये गए हैं। उपर्युक्त कानून निश्चित रूप से घरेलू महिला श्रमिकों के लिए लाभकारी हैं , परंतु कई राज्यों ने इसके प्रावधानों के अनुपालन में शिथिलता बरती है। उदाहरण के लिए असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा घरेलू महिला श्रमिकों

का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना एवं पहचान पत्र जारी किया जाना चाहिए था ,किंतु बिहार जैसे कई राज्यों ने इस काम में शिथिलता बरती। बिहार राज्य में घरेलू महिला श्रमिकों के पंजीकरण का कार्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही 2018 में शुरू हो पाया (विगो,2021)।

दूसरे इस कानून में घरेलू श्रमिकों को स्पष्टतया परिभाषासित नहीं किया गया है , इससे इस कानून के क्रियान्वयन में कठिनाई होती है। इस कानून के अधीन केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड और और राज्य स्तर पर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है परंतु इन बोर्डों की भूमिका सलाह और पर्यवेक्षण तक ही सीमित है।

इस अधिनियम के अंतर्गत ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है। 2011 ई. में घरेलू श्रमिकों को भी इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। निश्चित रूप से यह योजना घरेलू महिला श्रमिकों के लिए लाभकारी रहा है। परंतु इसका प्रमुख दोष ग्रामीण क्षेत्रों में योजना विस्तार नहीं होना और योजना से सम्बद्ध चिकित्सालयों में गुणवत्तापूर्ण इलाज एवं सुविधा का अभाव रहा है (समर,2011)। कई बार सरकार द्वारा समय पर योजना की राशि का आवंटन नहीं हो पाता है।

4. घरेलू श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2010 : इस अधिनियम का उद्देश्य घरेलू श्रमिक के रूप में कार्यरत बच्चों और महिलाओं को शोषण से बचाना है। यह नियोजन एजेंसी के द्वारा बच्चों और महिलाओं के शोषण और अवैध व्यापार पर रोक लगाता है। इसके अंतर्गत नियोजन एजेंसी के लिए प्रतिबंधों और विनियमों के प्रावधान किये गए हैं।
5. कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और प्रतिषेध) अधिनियम , 2013 : यह अधिनियम कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत कार्य-स्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निस्तारण हेतु एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। साथ ही यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों से बचाव/सुरक्षा के लिए भी समुचित उपाय किये गए हैं। यह कार्यस्थल पर नियोक्ता द्वारा घरेलू महिला श्रमिकों के यौन-उत्पीड़न के रोकथाम में लाभकारी है द्वारा परन्तु इस कानून के बारे में घरेलू महिला श्रमिकों में जागरूकता का अभाव रहा है (नम्रता सिंह,2016)।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाये गए सभी श्रम कानून घरेलू महिला श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं। इसके कई कारण हैं :

1. घरेलू महिला श्रमिक के अन्तर्गत कौन शामिल हैं, यह पूर्णतया स्पष्ट नहीं है।
2. घरेलू महिला श्रमिकों के संबंध में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने देश में इनकी संख्या अलग-अलग बताई है।
3. घरेलू कार्य को वास्तविक काम नहीं माना जाता है अपितु इसे घरेलू सेवा के अंतर्गत ही रखा जाता है। घरेलू सेवा क्षेत्र को देश की सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं किया जाता है।
4. घरेलू क्षेत्र को कार्यस्थल के रूप में वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होने से राज्य अथवा केंद्रीय श्रम कानूनों के उपबंध घरेलू महिला श्रमिकों पर लागू नहीं होते हैं।

उपर्युक्त कारणों से देश में घरेलू महिला श्रमिकों के लिए विशिष्ट केंद्रीय कानून की आवश्यकता है। जो घरेलू महिला श्रमिकों की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान कर सके।

हाल में केंद्रीय सरकार के श्रम और नियोजन मंत्रालय ने घरेलू महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था (कार्य बल,2014)। इस कार्यबल के सुझाव पर एक राष्ट्रीय विधेयक का मसौदा वर्ष 2017 में तैयार किया गया। इसके अंतर्गत घरेलू महिला श्रमिकों तथा नियोजन एजेंसी का अनिवार्य पंजीकरण करना, न्यूनतम मजदूरी तय करना, कार्य के घंटे सुनिश्चित करना, कौशल विकास तथा सभी प्रकार के शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा से संबंधित प्रावधान करना जैसे उपबंध शामिल किये गए हैं। निश्चित रूप से प्रस्तावित विधेयक, घरेलू श्रमिक (कार्य का विनियमन और सामाजिक सुरक्षा) विधेयक ,2017, घरेलू महिला श्रमिकों के लाभकारी होता ,किंतु दुर्भाग्यवश यह अबतक कानूनी रूप नहीं ले पाया है।

सुझाव (Recommendations) :

घरेलू महिला श्रमिकों की जीवन-दशा और कार्य दशा में सुधार के लिए निम्नलिखित स्तरों पर प्रयास करने होंगे :

1. एक त्रिपक्षीय बोर्ड का गठन किया जाए जिसमें सरकार, नियोक्ता और घरेलु महिला श्रमिक, तीनों का प्रतिनिधित्व हो। बोर्ड को अपने कामकाज के बारे में पूर्ण स्वायत्तता मिलनी चाहिए। घरेलू महिला श्रमिकों से संबंधित विवादों और शिकायतों के निस्तारण के लिए एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए।
2. बोर्ड को घरेलू महिला श्रमिक और नियोक्ता के बीच विवादों को मध्यस्थता द्वारा समाधान की शक्ति हो। मध्यस्थता द्वारा विवादों का समाधान नहीं हो पाने की दशा में बोर्ड को घरेलू महिला श्रमिकों को न्यायालयों में जाने और कानूनी सहायता पाने में मदद करनी चाहिए।
3. घरेलू महिला श्रमिकों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। पंजीकरण का जिम्मा बोर्ड को दिया जाए। नियोक्ता के द्वारा घरों में गैर पंजीकृत घरेलू महिला श्रमिक रखे जाने की दशा में बोर्ड को जुर्माना लगाने का अधिकार हो।
4. अकुशल और अर्ध-कुशल घरेलू महिला श्रमिकों के कौशल विकास का जिम्मा बोर्ड को दिया जाए।
5. देश में नियोजन एजेंसी के अनिवार्य पंजीकरण का दायित्व बोर्ड को दिया जाना चाहिए। प्रत्येक नियोजन एजेंसी को पंजीकृत घरेलू महिला श्रमिकों का विवरण और फ़ोटो अनिवार्य रूप से बोर्ड को उपलब्ध कराना चाहिए।
6. घरेलू महिला श्रमिकों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना की जाए। इस कोष में घरेलू महिला श्रमिक, सरकार और नियोक्ता तीनों का अंशदान हो।
7. सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना , का लाभ घरेलू महिला श्रमिकों को बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाए।
8. घरेलू महिला श्रमिकों के काम के घंटे और न्यूनतम वेतन का निर्धारण और पर्यवेक्षण का दायित्व बोर्ड का होना चाहिए।
9. घरेलू महिला श्रमिकों को संगठित होकर अपना संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह संगठन घरेलू महिला श्रमिकों की समस्याओं और मांगों को मुखरता के साथ सरकार के समक्ष रखेगा।
10. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कानूनों के प्रति घरेलू महिला श्रमिकों के बीच जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर मुहिम चलानी चाहिए।

11. **कार्यस्थल पर घरेलू महिला श्रमिकों के साथ जाति, वर्ग ,धर्म आदि आधार पर सामाजिक भेदभाव होता रहा है। इनसे मुक्ति पाने के लिए समाज में जनमत बनाने की आवश्यकता है ताकि इनको समाज में सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाए।**
12. **राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल के सुझाव पर घरेलू श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय विधेयक का मसौदा (2017) प्रस्तावित किया गया था। इस प्रस्तावित विधेयक को यथाशीघ्र संसद द्वारा अनुमोदित कर कानूनी रूप देना चाहिए।**

निष्कर्ष (Conclusion) :

घरेलू महिला श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के समाधान और सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर प्रयास करने होंगे। सरकारी स्तर पर घरेलू महिला श्रमिक के लिए विशिष्ट कानून का निर्माण और उनके सही क्रियान्वयन पर बल देना होगा। साथ ही घरेलू कार्य को एक पेशेवर स्वरूप प्रदान करना होगा। घरेलू महिला श्रमिकों को शिक्षा, कौशल विकास और प्रशिक्षण के द्वारा पेशेवर स्वरूप प्रदान करने से उनकी मोलभाव की क्षमता बढ़ेगी और समाज में सम्मान बढ़ेगा। इस काम में गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जानी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ :

1. Dushyant (2022,September 8). "*Why do we treat our domestic worker so cruelly*". The Times of India : Ranchi Edition.
2. WIEGO.(2021). "*Domestic workers and social participation in bihar state"*
3. Neetha,N.(2019), "Working at Others' Homes : The Specifies and Challenges of Paid Domestic Work",Tulika Books,Chennai.
4. Lahiri, Tripti.(2017). "*Maid in India : Stories of Inequality and Opportunity Inside Our Homes"* (1st ed.). New Delhi, Alpha Book Company.
5. R. Arul., (2017). "A Study on the Socio-Economic Condition of Women Domestic Workers in Tiruchirappalli City". International Journal of Latest Engineering and Management Research (IJLEMR), 02 (12), 20-24.
6. Augustine,Rufina., & Singh, Rupesh,Kumar.(2016) "Condition & Problems of Female Domestic Workers : with Special Reference to L.D.A. Colony in Lucknow City, India". Journal of Sociology and Social Work,4(2),110-117.

7. Bharati, M., & Mehrotra Surabhi T., (2008). “Rights and Dignity: Women Domestic Workers in Jaipur”. Retrieved from http://www.jagori.org/wp-content/uploads/2008/09/cover_jaipur_report_english.pdf
8. Moghe,Kiran (2007),”Understanding the Unorganised Sector” Infochange News & Features , September 2007. www.infochangeindia.org
9. M. Vimala. (2000). “Socio-Economic Status of Domestic Women Servants - A Case Study of Thrissur Corporation”. Retrieved from http://www.cds.ac.in/krpcds/report/vimala.pdf
10. Mehta, R. (2012). “Women Workers in Unorganized Sector”. Jharkhand Journal of Social Development, IV (1&2), 22-31.
11. Tewari , Meenakshi .(June 07 ,2018).”*The Silence that Shrounds the abuse and exploitation of domestic workers*”,The Wire , https://thewire.in
12. Samar,H.(July 23,2011). “Thought for Food”. Hindustan Times :New Delhi Edition.
13. Singh,Namrata .(September 18,2016). “Compliance to Sexual Harassment Law Poor”,The Economic Times: New Delhi Edition.
14. **भारत सरकार, घरेलू श्रमिकों पर गठित कार्यबल का अंतिम प्रतिवेदन, 2011,12-33(श्रम और नियोजन मंत्रालय,अगस्त 28, 2014).**